सं0सं0–09 / कोर्ट–10–22 / 2018(खण्ड)......

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

शुद्धि पत्र

डा0 विजय कुमार, तत्कालीन प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सरमेरा, नालंदा के विरूद्ध विभागीय संकल्प सं0–137(9) दिनांक–27.01.2020 द्वारा संचालित विभागीय कार्यवाही को विभागीय अधिसूचना सं0–205(9) दिनांक–10.03.2025 द्वारा स्थगित करते हुए शर्तो के अधीन आरोप प्रकरण को संचिकास्त करते हुए आरोप मुक्त करने का निर्णय संसूचित किया गया है।

उक्त अधिसूचना की कंडिका–6 मे अधिसूचित है कि:–

6. सिविल रिब्यू सं0–363 / 2019 में दिनांक–04.09.2023 को पारित आदेश के विरूद्ध विभाग द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली में विशेष अनुमति याचिका दायर किया गया है, उक्त में पारित आदेश से यह निर्णय प्रभावित होगा।

उक्त अधिसूचना की कंडिका–6 को निम्नवत संशोधित किया जाता है:–

सिविल रिब्यू स0–363 / 2019 में दिनांक–04.09.2023 को पारित आदेश के विरूद्ध विभाग द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली मे विशेष अनुमति याचिका दायर करने का निर्णय लिया गया है। अतः SLP दाखिल होने के उपरांत SLP में पारित आदेश से यह निर्णय प्रभावित होगा।

विभागीय अधिसूचना सं0–205(9) दिनांक–10.03.2025 की कंडिका–8 द्वारा अधिसूचित है कि –

8 विभाग द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली में दायर SLP में अपील वाद स0–363 / 2019 मे दिनांक–04.09.2023 को पारित आदेश के विरूद्ध आदेश पारित किया जाता है तो विभागीय संकल्प सं0–137(9) दिनाक–27.01.2020 द्वारा सचालित विभागीय कार्यवाही स्वतः पुनर्जीवित हो जाएगा। तदोपरान्त डा0 कुमार के विरूद्ध द्वितीय कारण–पृच्छा की मॉग करने के स्तर से विभागीय कार्यवाही संचालित / पूर्ण की जाएगी।

उक्त अधिसूचना की कडिका–8 को निम्नरूपेण संशोधित किया जाता है:–

सिविल रिब्यू सं0–363 / 2019 में दिनांक–04.09.2023 को पारित आदेश के विरूद्ध विभाग द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली में SLP दाखिल करने का निर्णय लिया गया है। अतः SLP दाखिल होने के उपरांत उक्त SLP के निर्णय के फलाफल से यह आदेश आच्छादित होगा।

विभागीय अधिसूचना सं0–205(9) दिनांक–10.03.2025 द्वारा अधिसूचित आदेश इस हद तक संशोधित पढा जाय एवं शेष तथ्य यथावत रहेगें।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0 / –

(उपेन्द्र राम)

सरकार के अवर सचिव।

07/05/2025

(15)

ज्ञापांकः–9 / कोर्ट–10–22 / 2018(खण्ड)(स्वा0) 731(9) **पटना, दिनांकः–** 07.07.25

प्रतिलिपिः–महालेखाकार, (ले० एवं ह०) बिहार पटना / प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै0 दा0 नि0 को0) विभाग, बिहार, पटना / जिला पदाधिकारी, नालंदा / सबंधित कोषागार पदाधिकारी, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः–क्षेत्रीय अपर–निदेशक, स्वास्थ्य सेवायें, पटना प्रमंडल, पटना / सिविल सर्जन, नालंदा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः–माननीय मत्री, स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव / अपर मुख्य सचिव, स्वा0 विभाग के प्रधान आप्त सचिव / सभी निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाऐं, बिहार पटना के निजी सहायक को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः–डा0 विजय कुमार, तत्कालीन प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सरमेंरा, नालंदा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः–प्रशाखा पदाधिकारी 2, 3, 7, 8, 10, 17 एवं 18A को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः–आई0टी0 मैनेजर, स्वा0 विभाग को विभागीय वेबसाइट में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

07/07/2025

सरकार के अवर सचिव।